No. 01(10)/2023-E.II(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

.....

North Block, New Delhi
Dated 24th May, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Allowing Ministries/Departments for inter-se re-appropriation within the Object Heads 'Salaries', 'Allowances', 'Leave Travel Concession' and 'Rewards' only for current FY 2023-24.

This is with reference to the Gazette Notification dated 16.12.2022 issued by this Department made effective from 1st April, 2023 through which revision in the Primary Units of Appropriation or Standard Object Heads (Rule 8 of DFPRs) has been done.

2. One of the major changes effected through the Notification has been the division of the erstwhile Object Head- "Salaries" into 'Salaries', 'Allowances', 'Leave Travel Concession' and 'Rewards' for better classification of expenditure. Financial Year 2023-24 is the first year of operation of the revised Primary Units of Appropriation and it has come to the notice of this Department that Ministries/Departments faced difficulties in making provisions in DDGs in these four object heads. The division made in the erstwhile OH- "Salaries" into four new object heads has involved certain amount of estimation and in all likelihood corrections are to be made inter se between these four object Heads, which require re-appropriation in the course of the current Financial Year.

3. Keeping this in mind, it has been decided to delegate powers to administrative Ministries/Departments for inter se re-appropriation to enable minor changes in provision within the aggregate budgetary provisions made in the four Object Heads as per the Detailed Demand for Grants i.e. between 'Salaries', 'Allowances', 'LTC and 'Rewards' during the FY 2023-24, **as a one-time exception,** with the condition that the extant re-appropriation shall not increase the budget provision in the respective object head(s) by more than 25% of the budget estimate or by Rs. 5.00 crore, whichever is lesser. This shall be done with the approval of the respective Administrative Secretaries with the concurrence of the Financial Adviser.

4. This issues with the approval of Finance Secretary and Secretary (Expenditure).

(Avinash K. Nilankar)
Deputy Secretary to the Government of India

All Ministries/Departments of Government of India, C&AG (with spare copies) UPSC etc. as per standard endorsement list.

Copy forwarded to:

Financial Advisors of all Ministries/Department of Government of India

सं. 01(10)/2023-ई.II(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 24 मई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः मंत्रालयों/विभागों को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केवल 'वेतन', 'भत्तों', 'अवकाश यात्रा रियायत' तथा 'पुरस्कारों' के मदशीर्षों की सीमा में परस्पर पुनर्विनियोजन के लिए अनुमति प्रदान किया जाना ।

यह, इस विभाग द्वारा जारी की गई दिनांक 16.12.2022 की राजपत्र - अधिसूचना के संदर्भ में है, जिसे 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी बनाया गया है तथा जिसके माध्यम से विनियोजन अथवा मानक मद शीर्षों (डीएफपीआर के नियम-8) की प्रारंभिक इकाईयों (यूनिटों) में संशोधन किया गया है।

2. इस अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किए गए बदलावों में से सबसे बड़ा बदलाव, व्यय के बेहतर वर्गीकरण के लिए पूर्व के मदशीर्ष - "वेतन" को 'वेतन', 'भत्तों', 'अवकाश यात्रा रियायत' तथा 'पुरस्कारों' में विभाजित करना रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24, विनियोजन की संशोधित प्रारंभिक इकाईयों के प्रचालन का प्रथम वर्ष है और इस विभाग की जानकारी में यह आया है कि मंत्रालयों/विभागों ने इन चार मदशीर्षों में डीडीजी में प्रावधान करने में कठिनाईयों का सामना किया है। पूर्व मदशीर्ष- "वेतन" के चार नए मद-शीर्षों में किए गए विभाजन में कुछ अनुमान की मात्रा शामिल है तथा सभी संभावित सुधार, इन चार मद शीर्षों के मध्य परस्पर किए जाने हैं, जिनमें चालू वित्तीय वर्ष के क्रम में पुनर्विनियोजन आवश्यक हो।

3. इसे ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को विस्तृत अनुदान मांग के अनुसार चार मद शीर्षों अर्थात् 'वेतन', 'भत्तों', 'अवकाश यात्रा रियायत' तथा 'पुरस्कारों' के मध्य किए गए सकल बजटीय प्रावधानों के अन्दर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधान में **एक बार अपवाद के रूप में** छोटे बदलाव करने हेतु परस्पर पुनर्विनियोजन के लिए इस शर्त के साथ शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी कि मौजूदा पुनर्विनियोजन में, संबंधित मद शीर्ष (शीर्षों) के बजट प्रावधान में बजट अनुमान के 25% या 5.00 करोड़ रुपए, जो भी न्यूनतर हो, से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। इसे वित्तीय सलाहकार की सहमति से संबंधित प्रशासनिक सचिवों के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

4. इसे वित्त सचिव तथा सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Ash. K. Nilakar
(अविनाश के नीलांकर)
उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अतिरिक्त प्रतियों सहित) संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि अग्रेषितः

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।